

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प015(20)वन/94

जयपुर, दिनांक:- 23.10.2012

आदेश

राजस्थान वन नीति, 2010 के अनुसार वनीकरण को बढ़ावा देने तथा वृक्षारोपण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.7.2011 का अधिलघन करते हुए कृषि वानिकी के तहत तैयार किये गये पौधों की विक्रय दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क.सं.	विवरण	प्रस्तावित दर प्रति पौधा (रुपये में)
1	कांटेदार प्रजाति के पौधे	4.00
2	छायादार एवं चौड़ी पत्ती वाले पौधे	
	• 1 फीट की ऊंचाई तक के पौधे	5.00
	• 2 फीट से उपर एवं 3 फीट की ऊंचाई तक के पौधे	8.00
	• 3 फीट से उपर एवं 5 फीट की ऊंचाई तक के पौधे (बड़ी थैलियों में)	15.00
	• 5 फीट से उपर की ऊंचाई एवं 8 फीट की ऊंचाई तक के पौधे (बड़ी थैलियों में)	40.00
	• 8 फीट से उपर एवं 10 फीट की ऊंचाई तक के पौधे (बड़ी थैलियों में)	55.00
	• 10 फीट से उपर ऊंचाई के पौधे	70.00

अ.स. 2
2012

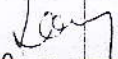
उपरोक्त दरें निम्न शर्ताधीन लागू होगी :-

- ये दरें निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों एवं कृषकों के लिए एक समाप्त ही रखी जाती है।
- नरेगा द्वारा वित्त पोषित नर्सरियों में तैयार पौधे नरेगा की गाईड लाईन्स के अनुसार नरेगा में स्वीकृत कार्यों एवं राजकीय परिसरों के लिए निःशुल्क दिये जावेंगे।
- ऐसे पौधे जो सामान्यता वन भूमि/सार्वजनिक भूमि पर ही लगाये जाते हैं जैसे नीम, बड़, अशोक, पीपल, सिरस, इमली, कदम्ब, महुआ, अर्जुन, घुरैल, रोहिड़ा एवं खैजड़ी के पौधों को वन भूमि या सार्वजनिक भूमि या संस्थागत भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए इच्छुक शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों को एक रुपये प्रति पौधे की दर से पौधे उपलब्ध कराये जाएंगे।
- राजकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्कॉउट एवं गाईड, एन.सी.सी. एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा यदि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो विभाग के अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन देने, पौधों की आवश्यकता का आंकलन कर एक रुपये प्रति पौधे की दर से 1000 पौधे तक उपलब्ध करवाये जावेंगे परन्तु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह आंकलन कर लिया जावे कि क्या वृक्षारोपण कराने वाले के पास वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि एवं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।

कु.प.उ.

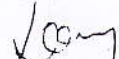
5. उप वन संरक्षक द्वारा यह सज्जन में आने पर कि उनके क्षेत्र में रेंज स्तर पर या किसी क्षेत्र विशेष के स्तर पर कोई संस्था या व्यक्ति विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है एवं इसके लिए उनके पास वृक्षारोपण/सुरक्षा की व्यवस्था है तो ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन को प्रोत्साहन दिया जावेगा एवं ऐसे अवसर पर वांछित सभी प्रजाति के पौधे एक रुपये प्रति पौध की दर से उपलब्ध कराये जावेंगे।
6. 5 से 8 फीट एवं 8 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पौधों की संख्या सीमित होने से उन्हें सर्वप्रथम वन महोत्सव एवं रोड साईड वृक्षारोपण आदि के लिए विभाग सुरक्षित रखे तथा इनकी मांगों की पूर्ति होने के उपरांत बचने वाले पौधे उपरोक्त निर्धारित दरों पर वितरण किये जावेंगे।
7. यह दरे दिनांक 1.11.2012 से लागू होंगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-III) विभाग की आई.डी संख्या 101203607 दिनांक 08.10.2012 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


(सी.एस. रत्नासामी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0-जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (नरेगा), राजस्थान जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त
6. स्टेट चीफ कमिशनर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाईड, राज्य मुख्यालय, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने स्तर से संबंधित वनाधिकारियों को प्रति उपलब्ध करावे।
8. समस्त जिला कलेक्टर
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. निजी सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. निजी सचिव, राज्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. वित्त (व्यय-3) विभाग
13. वित्त (बजट) विभाग
14. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.5()2004/विकास/प्रमुखसं/

दिनांक : 25-10-12

5993-6123

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE), राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।
6. समस्त उप वन संरक्षकगण।


उप वन संरक्षक (आयोजना)
राजस्थान, जयपुर